



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

24 आषाढ़, 1942 (श०)

15 जुलाई, 2020 (ई०)

संख्या- 328 राँची, बुधवार,

विधि विभाग

अधिसूचना

22 जनवरी, 2019

एस0 ओ0-32-- मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या-59 यथा संशोधित, 1994 का अधिनियम-54) की धारा-165 की उप धारा-(1), (2), (3) एवं (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के परामर्श से उक्त अधिनियम के तहत मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के प्रदत्त अधिकारिता सीमा एवं क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के निमित्त राँची में एक अतिरिक्त मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण स्थापित करती है, जिसका क्षेत्राधिकार राँची जिला की स्थानीय सीमाएँ होंगी।

(बी01/विधि (मा030न्या0 से पत्राचार)-244/2012-155 /जे0)

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

संजय प्रसाद,

प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी

विधि विभाग, झारखण्ड, राँची ।

विधि विभाग-----
अधिसूचना**22 जनवरी, 2019**

एस0 ओ0-32-- निम्नांकित अंग्रेजी भाषानुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा अंकित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड-(3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(बी01/विधि (मा0उ0न्या0 से पत्राचार)-244/2012-155 /जे0)
झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

संजय प्रसाद,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखण्ड, राँची ।

NOTIFICATION

S.O.—32-- In exercise of the powers conferred by the Section 165 (1), (2), (3) and (4) of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act No. 59 of 1988 as amended by Act 54 of 1994), the State Government in consultation with the Hon'ble High Court of Jharkhand, Ranchi, is pleased to establish an additional Motor Vehicle Accident Claims Tribunal at Ranchi for the purpose of exercising in the jurisdiction and powers conferred in claims tribunals under the said Act. The jurisdiction of the above Tribunal shall be the local limits of Ranchi District.

(File No.-B1/Vidhi (Man.U.Nya. se
patrachar)-244/2012-**155** /J)
By the order of the Governor of Jharkhand

Sanjay Prasad,
Principal Secretary-cum-L.R.
Law Department
Govt. of Jharkhand, Ranchi.
